भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-693

दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

सीसीटीएस के तहत औद्योगिक क्षेत्रों का विकार्बनीकरण

693. श्री गणेश सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने तथा निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) के अंतर्गत कोई ठोस रूपरेखा तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य घटक क्या हैं और इनका कार्यान्वयन तंत्र क्या है;

(ग) प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना से सीसीटीएस में परिवर्तन के लिए अनिवार्य अनुपालन तंत्र के अंतर्गत कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र लाए गए हैं और क्या विद्युत क्षेत्र को भी उक्त तंत्र के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश, खासकर सतना जिले में बड़े पैमाने पर काम कर रहे सीमेंट, चूना पत्थर और दूसरे खनिज आधारित उद्योग को सीसीटीएस अनुपालन या ऑफ़सेट मैकेनिज्म के तहत लाने का प्रस्ताव है, ताकि प्रादेशिक उद्योगों को भी विकार्बनीकरण और कार्बन क्रेडिट ट्रेड का लाभ मिल सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) के अंतर्गत भारतीय कार्बन बाजार के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। संस्थागत संरचना में विद्युत मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिवों की सह-अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति शामिल है, जिसमें ग्रिड इंडिया रजिस्ट्री के रूप में कार्य कर रहा है और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) प्रशासक के रूप में कार्य कर रहा है।

सीसीटीएस दो तंत्रों के माध्यम से संचालित होता है: अनुपालन तंत्र और ऑफसेट तंत्र। अनुपालन तंत्र के अंतर्गत, बाध्य संस्थाओं के रूप में नामित उत्सर्जन गहन उद्योगों से उन्हें सौंपे गए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सघनता (जीईआई) लक्ष्यों को पूरा करना अपेक्षित होता है और जो संस्थाएं अपने लक्ष्यों को बेहतर बनाती हैं, वे कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र के लिए पात्र हैं। ऑफसेट तंत्र के अंतर्गत, गैर-बाध्य संस्थाएं स्वेच्छा से उन परियोजनाओं को पंजीकृत कर सकती हैं जो कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करती हैं, हटाती हैं या रोकती हैं।

(ग) : निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पीएटी) स्कीम से सीसीटीएस के अंतर्गत अनुपालन तंत्र में परिवर्तित क्षेत्रों में एल्यूमीनियम, सीमेंट, क्लोर-क्षार, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, लुगदी और कागज और वस्त्र शामिल हैं। ताप विद्युत संयंत्रों को पीएटी स्कीम से सीसीटीएस अनुपालन तंत्र में परिवर्तित नहीं किया गया है।

(घ) : सीमेंट क्षेत्र पहले से ही सीसीटीएस के अनुपालन तंत्र के अंतर्गत कवर किया गया है। देश भर में कुल 187 सीमेंट संयंत्रों को जीईआई कटौती लक्ष्य दिए गए हैं। सतना जिले में स्थित सीमेंट संयंत्रों सहित मध्य प्रदेश में सीमेंट संयंत्रों का विवरण, जिनके लिए लक्ष्य अनिवार्य किए गए हैं, अनुबंध पर दिए गए हैं।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 693

अनुबंध

क्रम सं.	बाध्यकारी एंटिटी का नाम
1	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड यूनिट -धार सीमेंट वर्क्स, टोंकी, मनावर, धार, मध्य प्रदेश-454446
2	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (विक्रमसीमेंट वर्क्स), पी.ओ. खोर जिला-नीमच, मध्य प्रदेश-458470
3	रिलायंस सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मैहर/भरौली, इटहारा, सतना, मध्य प्रदेश-485773
4	प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड, प्रिज्म सीमेंट वर्क्स, सतना, विलेज मनकहारी तहसी, मध्य प्रदेश, 485111
5	प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड, यूनिट-II, मनकहारी, बठिया, सतना, मध्य प्रदेश, 485111
6	बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सतना सीमेंट वर्क्स), पी.ओ. बिरला विकास, जिला- सतना, मध्य प्रदेश-485005
7	एसीसी लिमिटेड (कायमोर सीमेंट लिमिटेड), पी.ओ. कायमोर तहसील विजयराघवगढ़ जिला कटनी-483 880, मध्य प्रदेश
8	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड- सीधी सीमेंट वर्क्स, ग्राम- मझिगवां, पी.ओ. भरतपुर, तहसील-रामपुर नैकिन, जिला सीधी, 486776
9	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, यूनिट: मैहर सीमेंट यूनिट-2', सतना, पोस्ट-सरलानगर मैहर जिला-सतना, मध्य प्रदेश- 485772
10	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, यूनिट: मैहर सीमेंट, सतना, पोस्ट-सरलानगर मैहर जिला- सतना, मध्य प्रदेश-485772
11	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, यूनिट:मैहर सीमेंट, सतना, पोस्ट-सरलानगर मैहर जिला- सतना, मध्य प्रदेश-485772
12	केजेएस सीमेंट (I) लिमिटेड, वर्क्स:- एनएच-7, राज नगर, रीवा रोड, गाँव-अमिलिया, पोस्ट ऑफिस: मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश-485771
13	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड - बेलासीमेंट वर्क्स. पी.ओ. जेपीनगर जिला. रीवा, मध्य प्रदेश-486450
14	डायमंड सीमेंट प्रॉप. हीडलबर्ग सीमेंट, दमोह, गांव नरसिंहगढ़ जिला- दमोह, मध्य प्रदेश-470675
15	हीडलबर्ग सीमेंट (I) लिमिटेड, दमोह, मध्य प्रदेश - 470661

****